



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-20062026-273680
CG-CG-E-20062026-273680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3077]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 18 जून, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत सूचना

का.आ. 3199(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1646(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा उक्त अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर जिले की तालुका मूल में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "गोंदिया-बल्हारशाह (चांदाफोर्ट) दोहरीकरण (240 किलोमीटर)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और चूंकि, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् आदि मानव (मराठी), चंद्रपुर समाचार (मराठी), दैनिक विदर्भ समाचार (मराठी), दैनिक वनांचल

(मराठी), दिनांक 23 अप्रैल 2026 एवं महाविदर्भ (हिंदी), खालसा संदेश (हिंदी), चंद्रपूर समाचार (हिंदी), दिनांक 23 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और चूंकि, सक्षम प्राधिकारी को आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन आपत्तियों की सुनवाई की गई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं। और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा।

अतः यह कि केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, समस्त भारों से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना "गोंदिया-बल्हारशाह (चांदाफोर्ट) दोहरीकरण (240 किलोमीटर)" महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर जिले की तालुका मूल में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

जिले का नाम - चन्द्रपुर

तालुका- मूल

राज्य- महाराष्ट्र

क्र. सं.	गाँव का नाम	भूमि धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 समानुपात कुल क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कांतापेठ रै.	गमतीदास आनंदराव कुंभारे व इतर	110	0.40	0.044
2	कांतापेठ रै.	बाळा गजानन साखरे व इतर	111/1	0.51	0.027
3	कांतापेठ रै.	लक्ष्मीबाई सिताराम गांगरेडुवार	119	0.40	0.030
4	कांतापेठ रै.	दिलीप मारोती वाढई	117	1.80	0.150
5	कांतापेठ रै.	देवाजी बोंडकू मोहूर्ले	136	0.51	0.054
6	कांतापेठ रै.	प्रभाकर शामराव मांदाळे	137/2/ब	0.42	0.050
7	कांतापेठ रै.	आकाश सुरेश लोनबले व इतर	147/1/ब	0.70	0.020
8	कांतापेठ रै.	गमतीदास आनंदराव कुंभारे	111/2	0.45	0.023
Total					0.398

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केळझर	मंगला रवींद्र बोरुले व इतर	228	0.69	0.004
2	केळझर	मंगला रवींद्र बोरुले व इतर	229	0.41	0.080

3	केळझर	कल्पना देविदास नंदुरकर	230	0.84	0.120
4	केळझर	कल्पना देविदास नंदुरकर	231	0.51	0.080
5	केळझर	विठोबा महारुजी मोहूर्ले	237	0.12	0.095
6	केळझर	विठोबा महारुजी मोहूर्ले व इतर	238	2.35	0.080
7	केळझर	बाबूराव महारु मोहूर्ले	239	0.54	0.040
8	केळझर	सुनिता संतोष देशकर	240/2	0.77	0.046
9	केळझर	सुनिता संतोष देशकर	240/1	0.77	0.200
				Total	0.745

1	कोसंबी चक	चंदा सुरेशराव साठवणे	105/1	0.62	0.004
2	कोसंबी चक	प्रज्वलीत प्रल्हादराव खोत्रागडे व इतर	104	4.08	0.040
3	कोसंबी चक	कमल काशिनाथ	77	4.82	0.018
4	कोसंबी चक	बडिराम उरकुडा शेंडे	105/2	0.62	0.005
5	कोसंबी चक	पवन सुरेशराव साठवणे व इतर	105/3	3.06	0.037
				Total	0.104

1	मारोडा	ललिता पदमाकर व इतर	124	1.46	0.080
2	मारोडा	निवृत्ताबाई उत्तमचंद गेडाम व इतर	113	0.70	0.115
3	मारोडा	योगराज प्रेमदास गेडाम व इतर	112	0.68	0.070
4	मारोडा	अनीता दिपक बेशेटीवार व इतर	99	1.33	0.044
5	मारोडा	भूदान यज्ञ मंडल, नागपूर	125	0.04	0.025
6	मारोडा	भूदान यज्ञ मंडल, नागपूर	98	0.05	0.025
				Total	0.359

कुल योग : 1.606 हेक्टेयर

[फा.सं. डीसीई/सी/III/जी/जी-बीपीक्यू(सीएएफ)/20ड /5]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 18th June, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 3199(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), No. S.O. 1646(E), dated 30rd March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30th March, 2026, and issued under Sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred as the said Act), the Central Government

declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Gondia – Balharshah (Chanda Fort) Doubling (240 Km.)” of South East Central Railway in **Mul Taluka of Chandrapur District, Maharashtra State**.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Adi Manav (Marathi), Chandrapur Samachar (Marathi), Dainik Vidarbha Samachar (Marathi), Dainik Vananchal (Marathi), dated 23 April 2026 and Mahavidarbha (Hindi), Khalsa Sandesh (Hindi), Chandrapur Samachar (Hindi), dated 23 April 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20D of the said Act, And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Copetent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land, to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project namely “Gondia – Balharshah (Chanda Fort) Doubling (240 Km.)” in **Mul Taluka of Chandrapur District, Maharashtra State** under South East Central Railway.

Name of District - Chandrapur

Taluka - Mul

State – Maharashtra

Sr. No.	Name of Village	Name of land holder	Survey No.	Total Area as per 7/12 (in Ha.)	Acquisition Area (in Ha.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kantapeth R.	Gamtidas Anandrao Kumbhare & others	110	0.40	0.044
2	Kantapeth R.	Bala Gajanan Sakhre & others	111/1	0.51	0.027
3	Kantapeth R.	Laxmibai Sitaram Gangareddiwar	119	0.40	0.030
4	Kantapeth R.	Dilip Marothi Wadhai	117	1.80	0.150
5	Kantapeth R.	Dewaji Bondku Mohurle	136	0.51	0.054
6	Kantapeth R.	Prabhakar Shamrao Mandale	137/2/अ	0.42	0.050
7	Kantapeth R.	Akash Suresh Lonble & others	147/1/अ	0.70	0.020
8	Kantapeth R.	Gamtidas Anandrao Kumbhare	111/2	0.45	0.023
				Total	0.398

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelzar	Mangala Ravindra Borule & others	228	0.69	0.004
2	Kelzar	Mangala Ravindra Borule & others	229	0.41	0.080
3	Kelzar	Kalpana Devidas Nandurkar	230	0.84	0.120
4	Kelzar	Kalpana Devidas Nandurkar	231	0.51	0.080
5	Kelzar	Vithoba Maharuji Mohurle	237	0.12	0.095
6	Kelzar	Vithoba Maharuji Mohurle & others	238	2.35	0.080
7	Kelzar	Baburao Maharu Mohurle	239	0.54	0.040
8	Kelzar	Sunita Santosh Deshkar	240/2	0.77	0.046
9	Kelzar	Sunita Santosh Deshkar	240/1	0.77	0.200
				Total	0.745

1	Kosambi Chak	Chanda Sureshrao Sathawane	105/1	0.62	0.004
2	Chak Kosambi	Prajwalit Pralhadrao Khobragade & others	104	4.08	0.040
3	Chak Kosambi	Kamal Kashinath	77	4.82	0.018
4	Chak Kosambi	Badiram Urkuda Shende	105/2	0.62	0.005
5	Chak Kosambi	Pawan Sureshrao Sathawane & others	105/3	3.06	0.037
				Total	0.104

1	Maroda	Lalita Padmakar & others	124	1.46	0.080
2	Maroda	Nivruttabai Uttamchand Gedam & others	113	0.70	0.115
3	Maroda	Yograj Premdas Gedam & others	112	0.68	0.070
4	Maroda	Anita Dipak Bershettiwar & others	99	1.33	0.044
5	Maroda	Bhudan Yagya Mandal, Nagpur	125	0.04	0.025
6	Maroda	Bhudan Yagya Mandal, Nagpur	98	0.05	0.025
				Total	0.359

Grand Total : 1.606 Hac.

[F. No. DCE/C/III/G/G-BPQ(CAF)/20E/5]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer(Const.)